

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 824

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

### आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/264 दिनांक 05.03.2019 में क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री अशोक गुप्ता, सह आचार्य ए.बी.एस.टी. का राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा से राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली में किया गया स्थानांतरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

4

(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 824

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को पालनार्थ।
5. सम्बन्धित सह आचार्य को पालनार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।

29/9/19

(जैनाराम नागौरा)

संयुक्त निदेशक(HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर